

# कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

## निविदा



## 2020—2021

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी  
ब्लॉक में लिक्विड आक्सीजन प्लांट की स्थापना, रखरखाव एंव  
आपूर्ति हेतु ई—निविदा फार्म

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 5000/-  
(रूपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक— 31 / 2020—21

## ONLINE TENDER SCHEDULE

ई—निविदा विज्ञप्ति क 31/2020—21

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	18-08-2020 11.00 AM	02-09-2020 5.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	18-08-2020 11.00 AM	02-09-2020 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	18-08-2020 11.00 AM	03-09-2020 5.00 PM	
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	04-09-2020 12.30 PM on-wards	—	
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	04-09-2020 12.30 PM on-wards	—	
6	FINANCIAL BID OPEN	IkFkd IsI puk nh tkoskhA	—	

ई—मेल:— [jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662—242104

संपर्क:— 07662—242104, +91—9179705483, +91—9644695933, +91—8827730393,

डॉ. सुधाकर द्विवेदी, अधीक्षक सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक, मो. +91—9425194546

निविदाकार जो ऑनलाईन दस्तावेज पोर्टल में अपलोड करें उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी भी दिनांक 03.09.2020 को सायंकाल 05.00 बजे तक कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय में जमा करें।

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:—

1. धरोहर राशि रूपये 30000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एंव सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।
4. वित्तीय वर्ष, 2017—18 एंव 18—19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रु. के नान—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2018—19)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
9. जीवित ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति(अधिकृत डीलर के लिए)
10. जीवित मैनुफैक्चरिंग लाईसेंस की छायाप्रति (निर्माता के लिए)

11. अधिकृत डीलर को निर्माता कंपनी द्वारा जारी अद्यतन ऑथराईजेशन पत्र की मूलप्रति।
12. मध्यपदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध कम से कम 03 चिकित्सालयों में लिकिवड ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना करने संबंधी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।

## श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक में हेतु लिकिवड आक्सीजन प्लांट की स्थापना, रखरखाव एंव आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक में हेतु लिकिवड आक्सीजन प्लांट की स्थापना, रखरखाव एंव आपूर्ति हेतु ई-निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म कर्य करने का मूल्य रु. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 30000/- (तीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार होगी, उसे अनुबंध के साथ रु. 1,00,000.00 का का डीडी अमानत राशि के रूप में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो जमा करनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन कर्य किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. चिकित्सालय की कर्य समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि कर्य समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एंव चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
11. निविदा निर्माताओं/अधीकृत डीलरों की ही स्वीकृत की जावेगी। निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एंव समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
12. निविदाकार को निविदा प्रपत्र एंव उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।
13. निविदाकार को मेडिकल ग्रेड की लिकिवड आक्सीजन सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में प्रदाय करनी होगी। इसकी गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा। लिकिवड आक्सीजन भण्डारण स्थान(टैंक) से चिकित्सालय कि पाईप लाईन प्लांट तक लाने में यदि किसी भी प्रकार का

लीकेज अथवा दुर्घटना घटती है तो उक्त घटना के लिये निविदाकार पूर्णत उत्तरदायी होगा।

14. लिकिवड आक्सीजन के भण्डारण हेतु सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक परिसर में उपलब्ध स्थान पर 10–10 किलोलीटर क्षमता के 02 टैंक द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा।
15. टैंक के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी तथा रखरखाव पर होने वाला व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। टैंक का मासिक किराया एवं उपयोग की जाने वाली लिकिवड आक्सीजन गैस का भुगतान माप के अनुसार देयक प्राप्त होने पर अधीक्षक, सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक के सत्यापन उपरांत किया जावेगा।
16. निविदाकार को सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में अनवरत (24X7) लिकिवड आक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। द्वितीय पक्ष को दूरभाष/मोबाईल पर भी दी गई सूचना अनुसार लिकिवड आक्सीजन गैस प्रदाय करना आवश्यक होगा। किसी भी दषा में आक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए।
17. तकनीकी शटडाउन की अवधि 7 दिन से ज्यादा नहीं होगी तथा अधिक शटडाउन होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के पास होगा।
18. टैंक में आई तकनीकी खराबी को अतिशीघ्र सुधरवाने की जिम्मेदारी निविदाकार को होगी तथा इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
19. टैंक में हमेशा पर्याप्त मात्रा में लिकिवड ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
20. लिकिवड ऑक्सीजन की अनुमानित खपत लगभग 30000 हजार क्यूबिक मी. प्रतिमाह होगी। टैंक का किराया एवं अनुमानित खपत की कीमत जोड़कर जिस निविदाकार की दरें न्यूनतम होंगी उसी निविदाकार की दरें स्वीकार की जावेगी।
21. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अमान्य करने का अधिकार होगा।
22. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
23. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः पांच वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी। आदेश प्रथमतः एक वर्ष हेतु जारी किया जावेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि आगामी चार वर्ष हेतु बढ़ा दी जावेगी।
24. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
25. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा यदि आक्सीजन की आपूर्ति में हीला-हवाली या टाल-मटोल करके विलम्ब किया जाता है, तो आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार से खरीद की जावेगी। इसमें अधिक भुगतान की वसूली निविदाकार के देयको से वसूली जावेगी। इसके बावजूद यदि अधिक भुगतान की वसूली शेष रह जाती है तो उसके जमा अमानत राषि 1,00000.00 (एक लाख मात्र) से काट ली जावेगी।
26. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पञ्चात् किया जावेगा, जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राषि पर ब्याज देय नहीं होगा।
27. लिकिवड आक्सीजन मरीजों की जीवन रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। अतः बिना पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारणों के अचानक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न किये जाने वाले कृत्य को

मरीजों का जीवन खतरे में डालना निरूपित किया जावेगा। इसके लिये सुरक्षा राषि जप्त करने के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही करने का विकल्प अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

28. निविदा में संलग्न प्रपत्रों को पूर्ण कर निविदा के साथ भेजा जावे।
29. यदि निविदाकार द्वारा लिकिवड आक्सीजन सप्लाई आगे के लिये किसी कारणवश बंद की जाती है तो इसकी लिखित सूचना तीन माह पूर्व निविदाकार द्वारा इस कार्यालय को दी जावेगी, ताकि कार्यालय सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।
30. निविदाकार को स्वयं के व्यय पर चिकित्सालय द्वारा नामित किए गए कर्मचारियों को प्लाण्ट संचालन के पूर्व संचालन संबंधी प्रषिक्षण देना अनिवार्य होगा। इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
31. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात 30 दिवस के लिकिवड प्लाण्ट की स्थापना कर प्लाण्ट से प्रदायगी प्रारम्भ करनी होगी।
32. प्लाण्ट से लिकिवड आक्सीजन की प्रदायगी हेतु आवष्यक बिजली एवं पानी की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी।
33. भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार लगने वाले करों का भुगतान करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
34. लिकिवड आक्सीजन गैस भण्डारण स्थल से चिकित्सालय में स्थापित प्लाण्ट तक लाने में यदि किसी प्रकार का लीकेज/दुर्घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
35. निविदा शर्तों में प्रथम पक्ष अधीक्षक, सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) एवं द्वितीय पक्ष निविदाकार होंगे।
36. टैक स्थापना के लिए यदि भारत सरकार वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय पैट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन(PESO) से लायसेंस लेनी की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। लायसेंस फीस का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा।
37. निविदाकार को मध्यपदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध कम से कम 03 चिकित्सालयों में लिकिवड ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना करने संबंधी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
38. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषय:- लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा बाबत् ।

—0—

महोदय,

मेरे द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं।

अतः आनलाईन निविदा फार्म की हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निविदाकार का पूरा नाम .....
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं. ....
4. पिता का नाम .....
5. पत्राचार का पता .....
6. स्थायी पता .....
7. ई-मेल / फैक्स नं. ....
8. बैंक का नाम / शाखा / खाता संख्या / आई.एफ.एस. कोड.....  
.....

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें) निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें। पृष्ठ क. दर्शायें	परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।		
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 30,000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।				
4.	वित्तीय वर्ष, 2017–18 एवं 18–19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	100 रु. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड				
6	पैन कार्ड की प्रति				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2018–19)				
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
9.	जीवित ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति (अधिकृत डीलर के लिए)				
10	जीवित मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस की छायाप्रति (निर्माता के लिए)				
11	अधिकृत डीलर को निर्माता कंपनी द्वारा जारी अद्यतन ऑथराईजेशन पत्र की मूलप्रति।				
12	मध्यपदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में लिकिवड ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना करने संबंधी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....  
निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....

## घोषणा पत्र (शपथ पत्र) नोटराइज

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक/सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेष राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा सप्लाई की गई लिकिवड आक्सीजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई०/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाच लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे/संस्था पर राज्य शासन/भारत शासन को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम

पता.....

पता.....

2. गवाह का नाम.....

संस्था का नाम एवं पता.....

पता .....  
.....

.....

**लिकिवड आक्सीजन एवं प्लांट हेतु निविदा वर्ष 2020–21**

## दर पत्रक (केवल आनलाईन भरा जावे)

लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु आपके कार्यालय से अभिप्राप्त नि. विदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन निविदा दरें प्रस्तुत हैं।

क्र.	विवरण	दर	
		अंको में	शब्दों में
1.	लिकिवड आक्सीजन की दर प्रति क्यूबिक मीटर		
2.	परिवहन दर प्रति क्यू मीटर		
3.	लिकिवड आक्सीजन टैंक का किराया प्रति माह (10-10 क्षमता के 02 टैंक)		
	योग (1+2)		
4.	जी.एस.टी. प्रतिशत		

निविदाकर्ता / सेवादाता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पूर्ण पता  
संस्था की सील